बिहार विधान-सभा यादवृत्त।

मंगलवार, तिथि २१ दिसम्बर १९६५।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि २१ दिसम्बर १९६५ को पूर्वाह्न ११ बजे उपाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

शिक्षकों के बकाये की चुकती।

११। श्री बद्री महरा—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री शिवचरण रावत, प्रधान शिक्षक और श्री चन्द्रदेव तिवारी, द्वितीय शिक्षक के पद पर वृत्तिभोगी लोअर प्राइमरी विद्यालय, बगही, पो० बगही बाजार, थाना कटैया, जिला सारन में अध्यापन कार्य कर रहे हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री शिवचरण रावत, प्र० शिक्षक का वेतन जून, १९५४ ई० का ४५ रु० और श्री चन्द्रदेव तिवारी, द्वितीय शिक्षक का वेतन भी उसी माह का ४२ रु० अभीतक नहीं दिया गया है;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उपरोक्त दोनों शिक्षकों के बकाये वेतन की चुकती अबतक नहीं होने का क्या कारण है?

*श्री गिरीश तिवारी—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) क्रमशः ४५ एवं ४२ रु० संबंधित शिक्षकों के बकाये की राशि जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रमाणक संख्या ४४३७६, दिनांक १४ दिसम्बर १९६५ के द्वारा भुगतान कर दी गयी है।

(३) वेतन की रकम निश्चित समय पर ही भेजी गई थी किंतु उक्त मनिआर्डर किसी कारणवश लौट जाने के कारण प्रासंगिक रकम जिला शिक्षा कोष में जमा हो गई जिसकी निकासी करने के बाद पुनः १४ दिसम्बर १९६५ को संबंधित शिक्षकों को चुकती की गयी।

*श्री बद्री मेहरा—१९५४ के जून महीने का ही वेतन बाकी था जो ट्रेजरी में जमा हो गया था तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच में कौन-सा प्रयास किया गया जिससे पेमेन्ट १४ दिसम्बर १९६५ को हो गया।

श्री गिरीश तिवारी—अगर प्रयास किया गया होता तो आपको कष्ट करने का मौका नहीं होता।

*श्री शकूर अहमद—१४ दिसम्बर १९६५ को इस प्रश्न का जवाब इसलिये नहीं दिया गया कि उस दिन तक पेमेन्ट नहीं हुआ था और यह सोचा गया कि जब पेमेन्ट हो जायगा तब जवाब दिया जायगा।

*श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इसे तो आप अपनी प्रखर बुद्धि से सोच सकते हैं।

श्री गिरीश तिवारी—जवाब कभी लाजवाब नहीं होता है। जवाब का जवाब होता ही है।

श्री शेख वाजिद के बकाये की चुकती।

५३। श्री बद्री महरा—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री शेख वाजिद, बी०ए०, शिक्षक, बोर्ड माध्यमिक विद्यालय विजयपुर जिला सारन में इन दिनों अध्यापन का कार्य कर रहे हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि इसके पहले वे बगही माध्यमिक विद्यालय, थाना कटैया, जिला सारन में अध्यापन-कार्य करते थे;

(३) क्या यह बात सही है कि वे उप-निरीक्षक गोपालगंज (सारन) के पत्रांक ७४६, दिनांक १ जून १९६४ के अनुसार सोनहुला बोर्ड माध्यमिक विद्यालय (सारन) में दिनांक १ जून १९६४ से दिनांक २२ मार्च १९६५ तक काम किए थे, जिसका वेतन उन्हें अभी तक नहीं मिला है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री शेख वाजिद, बी० ए०, शिक्षक के बकाये वेतन के भुगतान के संबंध में कौन-सी कार्रवाई करने को सोचती है?

श्री गिरीश तिवारी—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) शिक्षक का स्थानान्तरण सेमरा बोर्ड मिडल स्कूल में श्री चन्द्रशेखर प्रसाद के स्थान में तथा श्री प्रसाद का गौड़ा माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, श्री देवता प्रसाद के चौरी प्रशिक्षण में जाने के कारण रिक्त पद पर किया गया था। श्री देवता प्रसाद के चौरी प्रशिक्षण से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर प्रसाद बोर्ड मिडल स्कूल, सेमरा चले गये तथा श्री शेख वाजिद को विद्यालय उप-निरीक्षक, गोपालगंज ने माध्यमिक विद्यालय सोनहुला में प्रतिनियुक्त कर दिया किन्तु इस विद्यालय में स्थान रिक्त नहीं रहने के कारण उनका वेतन भुगतान नहीं हो सका। शिक्षक का स्थानान्तरण बोर्ड माध्यमिक विद्यालय, विजयीपुर में श्री सूर्यवंशी प्रसाद के ३१ मई १९६४ को अवकाश प्राप्त करने के कारण रिक्त पद पर किया जा चुका है तथा १ जून १९६४ से इनके बकाए का भुगतान उक्त विद्यालय से किया जायगा।

श्री राजमंगल मिश्र—इतने दिनों तक उनका वेतन बाकी रहा इसके लिये सरकार किनको जिम्मेवार समझती है?